

12-11-16

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओउप0

आरोपीसहित अधिवक्ता श्री जी0एस0निगम उप0।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी प्रकम पर उभयपक्षों द्वारा डॉकेट राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे अशिलेख पर लिया गया। फरियादी बालकिशन की पहचान अधि0श्री बी0एस0यादव द्वारा की गई है।

राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी के विरुद्ध भादस की धारा 379 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हैं। उक्त अपराध न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है फरियादी ने आरोपी से स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः वाद विचार राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई। राजीनामा के आधार पर आरोपी को भादस की धारा 379 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

Witness No.

Description Sheet No.

आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके
जमानत मुचलके भारहीन किये गये।

प्रकरण में जप्तशुदा भैस थाने द्वारा
सुर्पुदगी दी गई है। प्रकरण में निराकरण योग्य कोई
सम्पत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण
अभिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य. क.1

क.2-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

पीठासीन अधिकारी

खण्डपीठ क024 गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0